न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 06/2022/अपील

श्योपाली पुत्री स्व. भोलू पत्नी सीताराम सैनी जाति माली निवासी वार्ड नं. 6, राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर (राज.)

—अपीलान्ट

बनाम

1. महावीर
2. बोदूराम
3. लक्ष्मणराम
4. कुरड़ाराम
5. रूपाराम

पुत्रगण स्व. भोलू समस्त जाति माली निवासीगण राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर (राज.)

6. रामीदेवी पुत्री स्व. भोलू पत्नी लिछमण जाति माली निवासी राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर (राज.) हाल आबाद महादास की ढ़ाणी नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
7. पंजाब नेशनल बैंक शाखा कोतवाली रोड़ सीकर के जिला सीकर जरिये मैनेजर

—रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः—

1. श्री विजय कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री दीनानाथ शर्मा अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 4 व 5 की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 571 दिनांक 17.12.2004 ग्राम राधाकिशनपुरा द्वारा तहसीलदार सीकर

न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

निर्णय

दिनांकः 13 मई, 2025

1. यह अपील वकील **श्री विजय कुमार शर्मा** द्वारा तहसीलदार सीकर द्वारा स्वीकृत ग्राम राधाकिशनपुरा के नामान्तरकरण संख्या 571 दिनांक 17.12.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैं:—

(1) वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं. 685 रकबा 1.58 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 171 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 706 रकबा 0.64 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 880 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नं. 881 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नं. 882 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नं. 883रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नं. 884 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा नं. 885 रकबा 4.15 हैक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 8.94 हैक्टेयर है वाकै ग्राम राधाकिशनपुरा पटवार हल्का राधाकिशनपुरा भू.अ.नि. क्षेत्र कुड़ली तहसील व जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के पिता भोलू पुत्र उदा के 1/3 हक हिस्से एवं कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि रही है, एवं कृषि भूमि 685 रकबा 1.58 हैक्टेयर सम्पूर्ण अपीलान्ट के पिता के एकमात्र कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि रही है। स्व. भोलू की मृत्यु उपरान्त उसके हक हिस्से की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियों की खातेदारी जरिये विरासत नामान्तकरण संख्या 571 दिनांकित 17.12.2004 के द्वारा केवल मात्र सुरजी देवी, महावीर, बोदूराम, लक्ष्मणराम, कुरड़ाराम व रूपाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दी गई। जबकि स्व. भोलू के विरासत का नामान्तकरण सुरजी देवी, महावीर, बोदूराम, लक्ष्मणराम, कुरड़ाराम व रूपाराम के साथ ही अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के नाम भी कानूनन दर्ज किया जाना था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने केवल अपने आपको ही स्व. भोलू का वारिस बताते हुये अपने हक में कानून के विपरीत विरासत का नामान्तकरण संख्या 571 दिनांकित 17.12.2004 तस्दीक करवा लिया है।

न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर (राज.)

(2) अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के पिता भोलू के देहान्त देहान्त दिनांक 26.08.2004 को हो जाने के पश्चात अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 हिन्दू होने से उन पर व्यक्तिक विधि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 स्व. भोलू की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होने से विवादित भूमियों का खाता अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के नाम भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के साथ ही सम्भाग हिस्से में दर्ज किया जाना चाहिए था। परन्तु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के मौजूद होते हुये भी नामान्तकरण तस्दीक

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

किया गया है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के नाम वादग्रस्त सम्पदा के राजस्व रिकार्ड में गलत अंकन मात्र से विवादित भूमियों के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 को कोई कानूनी हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है तथा अपीलान्ट के हक अधिकार समाप्त नहीं हो जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर ने आज्ञा जैर अपील पारित करने से पूर्व मृतक भोलू के सभी वारिसान की जांच नहीं की, जबकि मृतक भोलू की पत्नी व पुत्रों के अलावा दो पुत्रीयां अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 भी मौजूद थी, जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिसान मौजूद हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने आज्ञा जैर अपील पारित करने से पूर्व विवादित आराजी के कब्जे के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की है। वादग्रस्त सम्पदा अपीलान्ट की पैत्रिक सम्पदा है जिसके सम्बन्ध में तत्कालिन पटवारी हल्का एवं ग्राम पंचायत को पूर्ण जानकारी रही है फिर भी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के हक में न तो पटवारी हल्का ने विरासत के सम्बन्ध में जांच की तथा ग्राम पंचायत ने मृतक भोलू के प्रथम श्रेणी के सभी वारिसान की जांच किए बिना ही रिपोर्ट तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर ने आज्ञा जैर अपील पारित करने से पूर्व मृतक भोलू के प्रथम श्रेणी की वारिस को कोई नोटिस व सूचना नहीं दी व न ही अपीलान्ट को अपना कथन व सबूत प्रस्तुत करने का मौका दिया। जिसकी पूर्व में अपीलान्ट को जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 22.05.2022 को अपीलान्ट अपनी वादग्रस्त सम्पदा की सार सम्भाल करने के लिये गई तब जानकारी हुई। जिस पर अपीलान्ट ने राजस्व रिकार्ड की जानकारी कर नामान्तकरण संख्या 571 ग्राम राधाकिशनपुरा की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु दिनांक 23.05.2022 को आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर नकल तैयार होकर दिनांक 24.05.2022 को प्राप्त हुई।

न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर (राज.)

(4) अपीलान्ट अशिक्षित एवं वृद्ध महिला है कानूनी की बारीकियों को नही समझती है। अपीलान्ट जानकारी के अभाव में अवधी भीतर अपील प्रस्तुत करने से मजबूर रही है। जहां प्रभावित पक्षकार को बगैर नोटिस दिये कोई आदेश पारित किया गया हो ऐसे शून्य आदेश को परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों के

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

अधीन बाधित नहीं माना जा सकता। इसलिए अपीलान्ट के हितो की रक्षा के लिये एवं सही निर्णय व न्याय के लिये अपीलान्ट को मियाद का फायदा दिया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। आवेदन धारा 5 कानून मियाद मय शपथ पत्र अलग से अपील के साथ प्रस्तुत है।

(5) सुरजी देवी पत्नी भोलूराम की मृत्यु वर्ष 2018 में हो चुकी है जिसके विरासत के नामान्तकरण में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के नाम नामान्तकरण तस्दीक किया गया था। इससे भी पुष्ट एवं प्रमाणित है कि स्व. भोलू के विरासत का नामान्तकरण तस्दीक करते समय अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के नाम नामान्तकरण तस्दीक नहीं करना कानूनन सम्मत नहीं था।

(6) अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 571 दिनांकित 17.12.2004 ग्राम राधाकिशनपुरा सीकर जिला सीकर को निरस्त फरमाया जाकर मृतक भोलू के वारिसान अपीलान्ट के हक में वादग्रस्त सम्पदा का नामान्तकरण स्वीकार किये जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर (राज.)

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिए नोटिस तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

3. रेस्पोडेंट्स संख्या 4 व 5 की ओर से वकील श्री दीनानाथ शर्मा उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेंट्स संख्या 1 ता 3 व 6 ता 7 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे हैं।

4. रेस्पो. संख्या 4 व 5 की ओर से आवेदन अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का जवाब पेश किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा तत्समय प्रचलित नामान्तकरण विधि व नियमानुसार कब्जे काश्त आदि की सम्यक रूप से जांच कर मृतक स्व. भोलूराम के वारिसान का नामान्तकरण संख्या 571 दिनांकित 17.12.2004 मृतक के विधिक वारिसान की तत्समय पचलित कानून के अनुसार जांच कर भरा गया था। जिसकी जानकारी अपीलांट एवं रेस्पो. संख्या 6 को प्रारम्भ से ही थी। तत्पश्चात पुत्रियों को

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

पुत्रों के समान कानून का संशोधन अधिनियम 2005 के तहत दिया गया, जिसके अनुसार पुत्रियां पुत्र के समान ही अपने पिता की सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्त कर सकती हैं। जिसके तहत अपीलांट व रेस्पो. संख्या 6 को उनकी माता की मृत्यु के पश्चात उसकी सम्पदा में हिस्सा प्राप्त हुआ, जिसका विरासत नामान्तकरण संख्या 1674 दिनांकित 20.02.2015 खसरा नम्बर 1598/685 एवं 883 में दर्ज होकर हिस्सा प्राप्त हुआ है। इस प्रकार अपीलांट को नामान्तकरण, कानून एवं राजस्व रेकार्ड की जानकारी दिनांक 20.02.2015 को ही हो गई थी। अपीलांट ने अपने आवेदन में उक्त जानकारी 22.05.2022 को होना बताया है जब अपीलांट अपनी वादग्रस्त सम्पदा पर सार संभाल करने के लिए गई। जो सर्वथा मिथ्या एवं मनगढंत कथन किया है। जबकि अपीलांट अपनी माता से प्राप्त विरासतन अपने हक हिस्से पर काबिज होकर निरन्तर व निर्बाध रूप से वादग्रस्त आराजी पर ही आवास निवास करती है। अपीलांट द्वारा अपने आवेदन में जो कथन किये हैं वह कथन Delay Condon करवाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, ना ही अपीलांट ने अपील देरी से प्रस्तुत करने का कोई युक्तियुक्त कारण दर्शाया है। इस कारण अपीलांट की अपील आशातीत अवधी बाधित होने के कारण प्रथम स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है।

न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर (राज.)

5. उपस्थित पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलांट ने अपने अपील आवेदन में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि, वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं. 685 रकबा 1.58 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 171 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 706 रकबा 0.64 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 880 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नं. 881 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नं. 882 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नं. 883रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नं. 884 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा नं. 885 रकबा 4.15 हैक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 8.94 हैक्टेयर है वाकै ग्राम राधाकिशनपुरा पटवार हल्का राधाकिशनपुरा भू.अ.नि. क्षेत्र कुड़ली तहसील व जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के पिता भोलू पुत्र उदा के 1/3 हक हिस्से एवं कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि रही है, एवं कृषि भूमि 685 रकबा 1.58 हैक्टेयर सम्पूर्ण अपीलान्ट के पिता के एकमात्र कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि रही है। स्व. भोलू की मृत्यु उपरान्त उसके हक हिस्से की

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियों की खातेदारी जरिये विरासत नामान्तकरण संख्या 571 दिनांकित 17.12.2004 के द्वारा केवल मात्र सुरजी देवी, महावीर, बोदूराम, लक्ष्मणराम, कुरड़ाराम व रूपाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दी गई। जबकि स्व. भोलू के विरासत का नामान्तकरण सुरजी देवी, महावीर, बोदूराम, लक्ष्मणराम, कुरड़ाराम व रूपाराम के साथ ही अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के नाम भी कानूनन दर्ज किया जाना था। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के पिता भोलू के देहान्त देहान्त दिनांक 26.08.2004 को हो जाने के पश्चात अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 हिन्दू होने से उन पर व्यक्तिक विधि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 स्व. भोलू की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होने से विवादित भूमियों का खाता अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के नाम भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के साथ ही सम्भाग हिस्से में दर्ज किया जाना चाहिए था। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के मौजूद होते हुये भी नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। अपीलांट की माता सुरजी देवी पत्नी भोलूराम की मृत्यु हो चुकी है जिसके विरासत के नामान्तकरण में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 को भी सुरजीदेवी का उत्तराधिकारी मानते हुए विरासतन हिस्सा दिया गया है। इससे भी पुष्ट एवं प्रमाणित है कि स्व. भोलू के विरासत का नामान्तकरण तस्दीक करते समय अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के नाम नामान्तकरण तस्दीक नहीं करना कानूनन सम्मत नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर ने आज्ञा जैर अपील पारित करने से पूर्व मृतक भोलू के सभी वारिसान की जांच नहीं की, मृतक भोलू के पत्नी व पुत्रों के अलावा दो पुत्रियां अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 भी मौजूद थी, जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिसान मौजूद हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर ने आज्ञा जैर अपील पारित करने से पूर्व मृतक भोलू के प्रथम श्रेणी की वारिस को कोई नोटिस व सूचना नहीं दी व न ही अपीलान्ट को अपना कथन व सबूत प्रस्तुत करने का मौका दिया। जिसकी पूर्व में अपीलान्ट को जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 22.05.2022 को अपीलान्ट अपनी वादग्रस्त सम्पदा की सार सम्भाल करने के लिये गई तब उक्त नामान्तकरण की जानकारी हुई। जिस पर अपीलान्ट ने राजस्व रिकार्ड की जानकारी कर नामान्तकरण संख्या 571 ग्राम राधाकिशनपुरा की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु दिनांक 23.

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

05.2022 को आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर नकल तैयार होकर दिनांक 24.05.2022 को प्राप्त हुई। अपीलान्ट अशिक्षित एवं वृद्ध महिला है कानूनी की बारिकियों को नही समझती है। अपीलान्ट जानकारी के अभाव में अवधी भीतर अपील प्रस्तुत करने से मजबूर रही है। जहां प्रभावित पक्षकार को बगैर नोटिस दिये कोई आदेश पारित किया गया हो ऐसे शून्य आदेश को परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों के अधीन बाधित नहीं माना जा सकता। इसलिए अपीलान्ट के हितो की रक्षा के लिये एवं सही निर्णय व न्याय के लिये अपीलान्ट को मियाद का फायदा दिया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 571 दिनांकित 17.12.2004 ग्राम राधाकिशनपुरा सीकर जिला सीकर को निरस्त फरमाया जाकर मृतक भोलू के वारिसान अपीलान्ट के हक में वादग्रस्त सम्पदा का नामान्तकरण स्वीकार किये जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

रेस्पो. संख्या 4 व 5 के वकील ने अपने जवाब में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा तत्समय प्रचलित नामान्तकरण विधि व नियमानुसार कब्जे काश्त आदि की सम्यक रूप से जांच कर मृतक स्व. भोलूराम के वारिसान का नामान्तकरण संख्या 571 दिनांकित 17.12.2004 मृतक के विधिक वारिसान की तत्समय प्रचलित कानून के अनुसार जांच कर भरा गया था। जिसकी जानकारी अपीलांट एवं रेस्पो. संख्या 6 को प्रारम्भ से ही थी। तत्पश्चात पुत्रियों को पुत्रों के समान कानून का संशोधन अधिनियम 2005 के तहत दिया गया, जिसके अनुसार पुत्रियां पुत्र के समान ही अपने पिता की सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्त कर सकती हैं। जिसके तहत अपीलांट व रेस्पो. संख्या 6 को उनकी माता की मृत्यु के पश्चात उसकी सम्पदा में हिस्सा प्राप्त हुआ, जिसका विरासत नामान्तकरण संख्या 1674 दिनांकित 20.02.2015 खसरा नम्बर 1598/685 एवं 883 में दर्ज होकर हिस्सा प्राप्त हुआ है। इस प्रकार अपीलांट को नामान्तकरण, कानून एवं राजस्व रेकार्ड की जानकारी दिनांक 20.02.2015 को ही हो गई थी। अपीलांट ने अपने आवेदन में उक्त जानकारी 22.05.2022 को होना बताया है जब अपीलांट अपनी वादग्रस्त सम्पदा पर सार संभाल करने के लिए गई। जो सर्वथा मिथ्या एवं मनगढंत कथन किया है। जबकि अपीलांट अपनी माता से प्राप्त विरासतन अपने हक हिस्से पर काबिज होकर निरन्तर व निर्बाध रूप से वादग्रस्त आराजी पर ही आवास निवास करती है। अपीलांट द्वारा अपने आवेदन में जो कथन

न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

किये हैं वह कथन Delay Condon करवाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, ना ही अपीलांट ने अपील देरी से प्रस्तुत करने का कोई युक्तियुक्त कारण दर्शाया है। इस कारण अपीलांट की अपील आशातीत अवधी बाधित होने के कारण प्रथम स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है।

6. हमने उपस्थित उभयपक्षकारान के वकीलों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया तथा प्रस्तुत कानूनों का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन करने से निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं, कि:–

(1) विवादित नामान्तरकरण संख्या 571 दिनांकित 17.12.2004 अपीलांट एवं रेस्पों. संख्या 1 से 6 के पिता भोलू के नाम दर्ज खातेदारी भूमि से सम्बन्धित है। भोलू का स्वर्गवास दिनांक 26.08.2004 को हो चुका है।

(2) विवादित विरासत का नामान्तकरण संख्या 571 दिनांकित 17.12.2004 मृतक भोलू की पत्नि सुरजीदेवी एवं रेस्पो. संख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज किया गया है।

(3) अपीलांट एवं रेस्पो. संख्या 1 ता 6 की माता सुरजीदेवी के देहान्त के पश्चात सुरजीदेवी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज भूमि के विरासत के नामान्तकरण में अपीलान्ट एवं रेसपोडेन्ट संख्या 6 को भी सुरजीदेवी का उत्तराधिकारी मानते हुए विरासतन हिस्सा दिया गया है। जिसको रेस्पो. के वकील ने भी स्वीकार किया है।

(4) वकील रेस्पो. के किये गये कथनानुसार "अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा मृतक स्व. भोलूराम के विरासत का नामान्तकरण संख्या 571 दिनांकित 17.12.2004 तत्समय प्रचलित कानून के अनुसार एवं कब्जे काश्त की जांच के आधार पर भरा गया था। तत्पश्चात पुत्रियों को पुत्रों के समान कानून का संशोधन अधिनियम 2005 के तहत दिया गया, जिसके अनुसार पुत्रियां पुत्र के समान ही अपने पिता की सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्त कर सकती हैं। जिसके तहत अपीलांट व रेस्पो. संख्या 6 को उनकी माता की मृत्यु के पश्चात उसकी सम्पदा में हिस्सा प्राप्त हुआ है।"

(5) उक्तानुसार यह स्पष्ट है कि अपीलांट एवं रेस्पो. संख्या 1 ता 6 के पिता भोलू की मृत्यु उपरान्त स्व. भोलू की विरासत का नामान्तकरण संख्या 571

न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

दिनांकित 17.12.2004 भरने से पूर्व अपीलांट एवं रेस्पो. संख्या 6 को सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

(6) चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विवादित नामान्तकरण दर्ज करने से पूर्व अपीलांट को सुनवायी के समुचित अवसर नहीं दिये गये हैं जिसके विरूद्ध रेस्पो. द्वारा भी कोई ठोस साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। अतः अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी की अवधी को Condon किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार सीकर द्वारा स्वीकृत ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर के नामान्तरकरण संख्या 571 दिनांक 17.12.2004 को रिमाण्ड किया जाता है। तहसीलदार सीकर को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कानून में वर्णित नियमों के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान को सुनवाई के समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

8. निर्णय आज दिनांक **13 मई, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर